संख्या- 30/2016-5333 /नौ-5-16-346बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषयः: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, विलासपुर, रामपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 281/ नागर-2/033-304/15, दिनांक 18.12.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद विलासपुर, रामपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 1949.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि

go finance mangal font

निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकस निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-376/दस-2016, दिनांक 24 फरवरी 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 30/2016-533 /नौ-5-16-346बजट/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/ रामपुर।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (मु0 क्षे0), 30प्र0 जल निगम, मुरादाबाद ।
9- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई पेयजल, 30प्र0 जल निगम, रामपुर।
10- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिलासपुर, रामपुर।
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-29/02/2016

प्रेषण संख्या:- 30

आवंटन आदेश संख्या:- 001-30-2016-5333-9-5-16-346B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	20000000	20000000
		प्रगामी	338669500	338669500
	योग	वर्तमान	20000000	20000000
		प्रगामी	338669500	338669500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तैंतीस करोड़ छियासी लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी